न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 94/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 4.8.2016
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. **जानकी पुत्री नन्दा** जाति तेली निवासी बन्थली हाल निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी (राज0)।
2. **मनफूली पुत्री नन्दा** जाति तेली निवासी बन्थली हाल निवासी अरनेठा तह0 नैनवा जिला बूंदी (राज0)।
3. **नटी बाई पुत्री नन्दा** जाति तेली निवासी बन्थली हाल निवास गुदली तहसील नैनवा जिला बूंदी (राज0)।
4. **लटूरलाल आ0 नन्दा** जाति तेली निवासी तलवास तहसील नैनवा जिला बूंदी (राज0)।
5. **बुद्धिप्रकाश आ0 नन्दा** जाति तेली नि0 बन्थली हाल निवास सवाईमाधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राज0)।

...अपीलाट्स

बनाम

1 **रामदेव आ0 रामनिवास** जाति तेली निवासी बन्थली तहसील नैंनवा जिला बूंदी (राज0)।
2 **शान्तिबाई पत्नी प्रभू** पुत्री रामनिवास जाति तेली निवासी बन्थली तहसील नैंनवा जिला बूंदी (राज0)।
3 **सरस्वती पत्नी सुवालाल** पुत्री रामनिवास जाति तेली निवासी फेक्ट्री की क्वाटर आईएचएस कॉलोनी मकान नं0 124 सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर (राज0)।
4 **बरजीबाई पत्नी किशना** पुत्री रामनिवास जाति तेली नि0 लबान की झौपडिया तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी।
5 **सीताबाई पत्नी प्रहलाद** पुत्री रामनिवास जाति तेली निवासी नीमखेडा तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
6 **राजस्थान सरकार** जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री विशाल सनाढ्य अभिभाषक अपीलाट
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पो0 1 लगायत 5

निर्णय

दिनांक 31.01.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 80/अपील/2014 बउनवान जानकी बनाम रामदेव मे पारित निर्णय दिनांक 9.3.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम बन्थली मे खातेदार रामनिवास आ0 भंवरलाल के नाम दर्ज आराजी का खातेदार रामनिवास के फोत होने उपरांत रेस्पो0 क्रम–1 रामदेव के पक्ष मे ना0 तहसीलदार नैंनवा द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 सं0 170 दिनांक 25.5.1999 से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील इस आधार पर पेश की गई कि नायब तहसीलदार नैनवा ने मृतक रामनिवास के कानूनी, वैध उत्तराधिकारियो की जॉच किये बिना तस्दीक किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रथम

अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील मियाद बाहर होने से निर्णय दिनांक 9.3.2016 से खारिज की गयी। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने झूँठे तथ्य को आधार बनाकर अपील खारिज करने मे त्रुटि की है, क्योंकि आदेश मे अपील 25 वर्ष बाद पेश करना लिखा है जो नितान्त झूँठ है जबकि नामा0 दिनांक 25.5.1999 को तस्दीक किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 13.11.2014 को नामा0 खुलने के 15 वर्ष बाद पेश की है इसलिये जेरअपील आदेश कानून विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। नामा0 खुलने की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 16.10.2014 को होने पर नकल प्राप्त कर जानकारी की तारीख से अधीनस्थ न्यायालय मे अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की थी साथ मे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पेश किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर होने से खारिज कर विधिक त्रुटि की है। खातेदार रामनिवास की मृत्यु पश्चात उसकी कृषि भूमि मे सभी उत्तराधिकारियो का एक समान हिस्सा था हिन्दू कानून मे पुत्र एवं पुत्री को समान अधिकार दिया गया है ऐसी स्थिति मे विवादित आराजी का केवल रेस्पो0 क्रम–1 रामदेव के नाम तस्दीक किया गया नामा0 विधि विरूद्ध होने प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी व अवैध है। अतः बिना किसी न्यायोचित आधार के अधीनस्थ न्यायालय ने अपील खारिज कर त्रुटि की है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 9.3.2016 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 ता 5 के अभिभाषक की सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नामा0 सं0 170 दिनांक 25.5.99 को ना0 तहसीलदार द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 रामदेव के नाम तस्दीक किया गया जबकि रामनिवास के एक पुत्र रामदेव व पांच पुत्रिया शांतिबाई, सरस्वती, संतराबाई, बरजीबाई, सीताबाई, है जिसमे से भी सन्तराबाई का निधन हो चुका है जिसके दो पुत्र व तीन पुत्रिया अपीलांट्स जो संतरा बाई के कानूनी वारिस है। इस प्रकार मृतक खातेदार रामनिवास के अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 5 कानूनी उत्तराधिकारी होने से ना0 तहसीलदार द्वारा विवादित आराजी का केवल रामदेव के नाम तस्दीक किया गया नामा0 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है क्योंकि विवादित आराजी मे अपीलांट्स एवं रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 5 मृतक रामनिवास के वैध उत्तराधिकारी/वारिस होने से उनका समान हक अधिकार निहित है। इस प्रकार नामा0 प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है तथा ऐसे शून्य प्रभावी आदेश को कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है इसमे मियाद प्रश्न कोई बाधा नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्यो पर गौर किये बिना अपील को मियाद बाहर होने से खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। बहस मे आगे बताया कि जेरअपील आदेश मे अपील 25 वर्ष बाद पेश करना वर्णित किया है जबकि अपीलांट द्वारा नामा0 सं0 25.5.99 के विरूद्ध अपील 15 वर्ष बाद दिनांक 13.11.2014 को पेश की थी इस प्रकार जेरअपील निर्णय गलत एंव झूंठे तथ्य अंकित कर पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है। अन्त मे आर.आर.डी. 1989 पेज 45 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे बताया कि अपीलांट द्वारा मृतक रामनिवास की लडकी होने का कोई सबूत पेश नही किये। अपीलांट रामनिवास की लडकी नही है। अन्य किसी लडकी ने अपील नही की है। कानूनन अपील पेश करने की अवधि 30 दिन नियत है अपीलांट द्वारा नामा0 सं0 170 के विरूद्ध 15 वर्ष बाद अपील पेश की गई जो मियाद बाहर थी तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त व न्यायोचित आधार नही है तथा ना ही कोई दस्तावेज है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने मे कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपीलांट अपने हक हकूको का

निर्धारण सक्षम न्यायालय मे रेगूलर वाद पेश कर करावे। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरटी 2007 (1) पेज 723 व डीएनजे 1996(राज.)पेज 738 का न्यायिक उद्धरण पेश कर अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर गोर कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 पर मनन किया। नायब तहसीलदार नैनवा द्वारा खातेदार रामनिवास के फौत होने उपरांत उसके खाते ग्राम बन्थली मे दर्ज आराजीयात का नामान्तरकरण सं0 170 दिनांक 25.5.99 उसके पुत्र रामदेव रेस्पो0 क्रम–1 के नाम तस्दीक किया गया। उक्त नामा0 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे दिनांक 13.11.2014 को लगभग 15 वर्ष बाद अपील पेश किया जाना प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा नामा0 के विरूद्ध अपील 25 वर्ष बाद पेश करना आदेश दिनांक 9.3.2016 मे वर्णित किया है जो मिथ्या एवं आधारहीन है। अतः अपीलांट के इस कथन की पुष्टि होती है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील आदेश गलत एंव झूंठे तथ्य अंकित कर पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क है कि मृतक खातेदार रामनिवास के एक पुत्र रामदेव व पांच पुत्रिया शांतिबाई, सरस्वती, संतराबाई, बरजीबाई, सीताबाई, है जिसमे से भी सतंराबाई का निधन हो चुका है जिसके दो पुत्र व तीन पुत्रिया अपीलांट्स है जो संतराबाई के कानूनी वारिस है। इस प्रकार मृतक खातेदार रामनिवास के अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 1 लगायत 5 कानूनी उत्तराधिकारी होने से ना0 तहसीलदार द्वारा विवादित आराजी का केवल रामदेव के नाम तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सं0 170 दिनांक 25.5.99 प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी व हिन्दू उत्तराधिकार कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विवादित आराजी मे अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 1 लगायत 5 का समान हक अधिकार निहित है। प्रथम दृष्टया अपीलांट का उक्त तर्क सारभूत व कानूनी तथ्यो पर आधारित होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा विवादित नामा0 सं0 170 के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त आशय की प्रथम अपील का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना मियाद बाहर होने से निर्णय दिनांक 9.3.2016 से खारिज किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता क्योंकि मियाद के संबध मे विभिन्न प्रकरणो मे विभिन्न न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकट किये गये अभिमत अनुसार जहॉ प्रकरण मे कानूनी व सारभूत तथ्य निहित हो वहां मियाद के प्रश्न का कोई महत्व नही रह जाता तथा अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज नही कर उसका गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.3.2016 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दि0 9.3.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0 न्याया0 को रिमांड किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल नं0 80/अपील/2014 बउनवान जानकी बनाम रामदेव मे पारित निर्णय दिनांक 9.3.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचित तथ्यो के आलोक मे पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 31.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा